तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 28/2020(जी.सी.एम.एस. नंबर 2020/00340) बअनवान मोहनराम व अन्य बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

मोहनराम व अन्य

बनाम

सरकार

उपस्थिति

1. श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट

आदेश

दिनांक 02 जून 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2020 बअनवान मोहनराम व अन्य बनाम सरकार में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 फरवरी 2020 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 02 मार्च 2020 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट्स खसरा नंबर 446/1 रकबा 253 बीघा के सहखातेदार काश्तकार है। अपीलांट्स की उक्त खातेदारी भूमि के पास ही खसरा नंबर 440 कुल रकबा 176 बीघा की भूमि स्थित है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 440 पर रकबा 25 बीघा भूमि वक्त सेटलमेंट के पूर्व से कब्जा है तथा उनका वादग्रस्त भूमि पर बतौर काश्तकार कब्जा काश्त है तथा मौके पर उनके रहवासीय मकानात्त बने हुए है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट्स के पक्ष में है। राजस्व कर्मचारियों को वक्त सेटलमेंट खसरा नंबर 446/1 की भूमि के साथ वादग्रस्त आराजी की भूमि खातेदारी अपीलांट्स के नाम दर्ज करनी थी, लेकिन राजस्व कर्मचारियों

	की त्रुटि से वादग्रस्त आराजी मगरे के रूप में राजकीय खाते में दर्ज कर दी गई, जबकि वादग्रस्त आराजी काश्त योग्य है। वर्तमान में राजनैतिक द्वेष भावना से प्रेरित होकर कुछ लोग वादग्रस्त आराजी का अपने पक्ष में नियमन कराने पर उतारू है तथा अपीलान्ट को बेदखल करने पर भी उतारू है। इस कारण अपूरणीय क्षति का बिंदु पक्ष भी अपीलार्थीगण के पक्ष है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरान्त भी अपीलार्थीगण के मामले को प्रथमदृष्टया केस, न मानने में कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 फरवरी 2020 को निरस्त किया जावे एवं वाद के लम्बित रहने तक माफिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे। जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी गैर मुमकिन किस्म की राजकीय भूमि है। कानूनन प्रतिकूल कब्जे के आधार अपीलांट्स को वादग्रस्त आराजीयात के खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जो कानूनन पोषणीय नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा परिवर्तनशील निर्धारण संवतः 2076 एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक वादग्रस्त भूमि ग्राम रामपुरा के ख.न. 440 राजकीय भूमि पर संवत् 2076 में अपीलार्थीगण मोहनराम, महीराम पिता बुधरराम जाति विश्नोई का रकबा 40 बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरा भूमि पर अवैध बाड़ा एव पक्का मकान बनाकर कब्जा होने प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना	

अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। रेस्पोडेंट द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया के अपीलांट्स को मौके से बेदखल किया जाता है तो अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति होना संभावित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। लिहाजा मामला उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 फरवरी 2020 को अपास्त किया जाकर मामला विचारण न्यायालण्य को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे। तब तक रेस्पोडेंट अपीलांट्स के बाड़े एवं पक्के मकान को ध्वस्त/हटाये नहीं।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर